संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.2/एस.सी.एन./मुरैना/आश्वा.क.281/2018/ 1583 **भोपाल, दिनांक** 14/9/18

// आदेश //

संचालनालय के पत्र क्रमांक.4/शिका./सेल.2/एस.सी.एन./मुरैना/2018/133/दिनांक 19.01.2018 द्वारा डॉ.एच.एस.सागर,तत्का0 ब्लॉक मेड़िकल आफिसर कैलारस जिला मुरैना वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,कैलारस जिला मुरैना मध्यप्रदेश को निम्न आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया :-

यह कि आप डॉ.एच.एस.सागर कैलारस जिला मुरैना में ब्लॉक मेड़िकल आफिसर के पद पर पदस्थ थे तब आपकी पदस्थी के दौरान विधान सभा प्रश्न क्रमांक.3327 तथा 3074 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस में जननी एक्सप्रेस वाहन के अनुबंध की प्रक्रिया तथा प्रदान की गई सेवा के अनुपात में राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर द्वारा पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किये जाने पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार संचालनालय के पत्र क्रमांक. 1031/दिनांक 18.06.2012 द्वारा आपको कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर चाहा गया।

संचालनालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का प्रतिवाद उत्तर आपके द्वारा दिनांक 22.08.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसमें वाहन लाग बुक पर हस्ताक्षर एवं सील पदमुद्रा अंकित होना नहीं पाई गई के अनुक्रम में आपने समस्त यात्रायें सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित की जाना एवं लाग बुक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है एवं पदमुद्रा भी अंकित की जाना बताया है। दिनांक 01.07.2008 से 30.06.2009 तक वाहन से 51 महिलाओं को लाभांवित किया गया परंतु उक्त महिलाओं का सत्यापन जननी सुरक्षा योजना की सूची में नहीं हुआ के संबंध में आपके द्वारा लेख किया कि वाहन द्वारा लाभांवित समस्त हितग्राहियों का पंजीयन संस्था के भर्ती एवं प्रसव रजिस्टर में किया गया तथा लाभांवित हितग्राहियों को योजना के लाभ की रसीद भी प्रदान की गई।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण,संचालक,एन.एच.एम.से कराया गया जिसमें उनके द्वारा संचालनालय को यह अवगत करवाया कि वाहन प्रतिमाह 1200 किलोमीटर के मान से वर्ष में कुल 14,400 किलो मीटर वाहन चलना था जबकि वाहन मात्र 4,906/-किलोमीटर ही चला और आपके द्वारा 12,200/ प्रतिमाह के मान से राशि रूपये 1,46,400/-का भुगतान किया गया जिससे शासन को कुल राशि 96,522/ -रूपये की वित्तीय हानि पहुँचाई जाने के अतिरिक्त आपके द्वारा 200 रूपये प्रतिमाह मोबाईल के वाहन मालिक को एक वर्ष में 1200 X 200 =2400/-रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया। आपके द्वारा किये गये उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप शासन को कुल राशि रूपये 96,522+2400 =98,922/-रूपये की वित्तीय हानि हुई। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों/कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को इंगित करता है।

निरन्तर.......2

04 SEP 2018

2. डॉ.एच.एस.सागर को जारी उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के प्रतिवाद उत्तर में उनके द्वारा वाहन का कम उपयोग होने एवं कम दूरी चले जाने के संबंध में केवल यह बताया है कि वाहन का उपयोग एच्छिक होने के कारण कुछ ही प्रसूताओं के द्वारा वाहन का लाभ लिया गया इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी लेख किया है कि वाहन हेतु बजट में स्वीकृति थी इसलिये वाहन अनुबंधित किया गया यदि भुगतान गलत हुआ तो वरिष्ठ अधिकारी को पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी भुगतान की स्वीकृति क्यों प्रदान की गई। इसलिये भुगतान हेतु में अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। भुगतान शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में नियमानुसार किया गया है इसलिये किसी भी प्रकार के वित्तीय हानि या अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. डॉ.एच.एस.सागर से नोटिस का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर,प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर संचालक,एन0 एच0एम0का अभिमत प्राप्त किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह अभिमत दिया है कि जननी एक्सप्रेस योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु कमांक.3.2 में उपयुक्त स्थान पर मुख्यालय निर्धारित किये जाने का लेख है यदि प्रसूताओं द्वारा इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था तो वाहन अन्यत्र रखा जाना था। जननी एक्सप्रेस योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु कमांक.2 में पात्र हितग्राहियों का विवरण अंकित है जिसमें 06 प्रकार के हितग्राही है यदि इन्हें भी वाहन उपलब्ध कराया जाता तो वाहन उपयोग के हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि होती। अतः प्रतिवाद उत्तर मान्य नहीं करने का अभिमत दिया है।

4. डॉ.सागर के प्रतिवाद उत्तर एवं संलग्न अभिलेख,एन.एच.एम.से प्राप्त अभिमत एवं जननी एक्सप्रेस योजना की मार्गदर्शिका का अवलोकन किया गया। डॉ.सागर ने प्रतिवाद उत्तर के साथ रोगी कल्याण समिति में राशि उपलब्ध नहीं होने से बजट की मांग हेतु लिखे गये पत्रों एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न की है। जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत अनुबंधित वाहनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.सागर का दायित्व था जिससे शासन की राशि का पूर्ण उपयोग हो सकें। यदि वाहन का उपयोग कम हो रहा था तो उनके द्वारा जननी एक्सप्रेस योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु कमांक.3.2 के अनुसार वाहन के मुख्यालय का स्थान परिवर्तन करने से क्या वाहन के उपयोग में वृद्धि संभव थी इस पर विचार किया जाना चाहिये था। विकास खण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्रों व ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रसूताओं एवं जननी एक्सप्रेस योजना के बिन्दु कमांक.2 की मार्गदर्शिका में वर्णित अन्य हितग्राहियों के द्वारा वाहन का उपयोग किये जाने के लिये प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये था। किंतु डॉ.सागर के द्वारा उक्त के संबंध में कोई प्रयास किये गये इसका कोई उल्लेख डॉ.सागर ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में नहीं किया है।

5. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट है कि डॉ. सागर का प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं है। अतः डॉ.एच.एस.सागर,तत्कालीन ब्लॉक मेड़िकल आफिसर कैलारस जिला मुरैना वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,कैलारस जिला मुरैना से शासन को राशि रूपये 98,922/-(शब्दों में इन्ठ्यानवें हजार नो सौ बाईस मात्र) की हुई वित्तीय हानि की वसूली मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (iii) के अंतर्गत करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.कमांक.4 / शिका. / सेल.2 / एस.सी.एन. / मुरैना / 2018 / **भोपाल,दिनांक**

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. कलेक्टर,मुरैना, मध्यप्रदेश ।
4. उप संचालक,विज्ञप्त / गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
5. संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा संचालनालय को लंबित आश्वासन कमांक.281 के संदर्भ में प्रेषित टीप दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में प्रेषित ।
6. संचालक,विधान सभा शाखा,स्थानीय कार्यालय की ओर एन.एच.एम.कार्यालय को आबंटित लंबित आश्वासन कमांक.281 के संदर्भ में प्रेषित।
7. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित चिकित्सा अधिकारी डॉ.एच.एस.सागर, तत्कालीन ब्लॉक मेड़िकल आफिसर कैलारस जिला मुरैना वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं जारी नोटिस की प्रविष्टी संबंधित की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना,मध्यप्रदेश।
9. संभागीय कोष एवं लेखा ग्वालियर संभाग,संभाग,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला मुरैना,मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश